रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 फरवरी, 2004/14 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जनवरी, 2004

संख्या एल0 एल0 आर0-ई0 (9)-9/2000-लेज.—श्री प्रेम दत्त शर्मा, अधिवक्ता, सराहं ने तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नौटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नौटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, सिरमौर की सिफारिशों पर, जो कि इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी हैं, और नौटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम दत्त शर्मा, अधिवक्ता ने तहसील पच्छाद (सराहं) जिला सिरमौर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नौटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव।

3764-राजपत्र/2004-3-2-2004—1,416. (3183) मूल्य : 1 रुपया।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E*(9)-9/2000 *Leg., dated* 20-1-2004 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th January, 2004

No. LLR-E(9)-9/2000-Leg.—WHEREAS Shri Prem Dutt Sharma, Advocate, Sarahan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Pachhad Tehsil of Sirmaur district;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Sirmaur, who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Prem Dutt Sharma, Advocate, as Public Notary within the limits of Pachhad Tehsil at Sarahan of Sirmaur district, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

J. L. GUPTA,
Secretary (*Law*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित